सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 6,शुक्रवार ,शाके 1932–फरवरी 25, 2011
Phalguna 6, Friday, Saka 1932–February 25, 2011

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना
जयपुर,फरवरी18, 2011

संख्या प.2(2)न्याय/2010:– ड्रग्स एन्ड कोस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36 ए बी की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राज्य के समस्त जिला एवं सैशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (ए) व (बी), धारा 22 की उप–धारा (3), धारा 27 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28, धारा 28 ए व धारा 28 बी तथा धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से सम्बन्धित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी–अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,
सत्यदेव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः–डीसी/विधि/जन/2011/06 - दिनांक 7-4-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
2– समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
3– प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त गजट नोटिफिकेशन को विभागीय वैबसाइट पर **Upload** करने का श्रम करें।

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर